उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–11
संख्या–653/15–11–2015
लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2015

ज्ञा- 467
12-6-15

संशोधन–विज्ञप्ति

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2013 तथा आगामी बी0टी0सी0 प्रशिक्षण चयन हेतु आनलाइन आवेदन/चयन प्रकिया के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2136/15–11–2013 दिनांक 22.07.2013 के प्रस्तर–13 में यह प्राविधान किया गया है:–

''**अल्पसंख्यक संस्था**– एन0सी0टी0ई0 से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त ऐसी निजी संस्थाओं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया है, की 50 प्रतिशत सीटों पर चयन सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जायेगा। शेष प्रतिशत सीटों पर चयन इस शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार संबंधित संस्थान द्वारा किया जायेगा।''

2– इस सम्बन्ध में योजित विशेष अपील संख्या–376(डी)/2014 नेशनल महिला महाविद्यालय, बलरामपुर 1933(एम/एस)/2014 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 25.09.2014, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

......We, therefore, allow the special appeal and set aside the order of Hon'ble Single Judge dated 28-05-2014 and hold that the appellant-petitioner bieng minority institution is free to admit the students on its own choice. However, the merit of the students cannot be ignored.

मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के तथा रिट याचिका संख्या–1400(एम0एस0)/2015 इरम गर्ल्स डिग्री कालेज लखनऊ व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2015 के आलोक में उक्त शासनादेश के प्रस्तर–13 को निम्नवत् पढा जायेगा:–

अल्पसंख्यक संस्था– एन0सी0टी0ई0 से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त ऐसे निजी संस्थानों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया है, को आवंटित समस्त सीटों (एन0सी0टी0ई0 द्वारा आवंटित सीट संख्या) अर्थात शत प्रतिशत सीटों पर प्रवेश/चयन सम्बन्धित अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा स्वयं निम्नानुसार की जायेगी:–

(1) शैक्षिक सत्र 2014–15 तथा आगामी सत्रों हेतु शत प्रतिशत सीटों पर बी0टी0सी0 प्रशिक्षुओं का प्रवेश सम्बन्धित अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा तीन प्रमुख समाचार पत्रों में स्वयं विज्ञप्ति प्रकाशित कर किया जायेगा।

(2) अल्पसंख्यक समुदाय के अर्ह अभ्यर्थियों की अधिमानता (Preference) को ध्यान में रखते हुए प्रचलित शासनादेश संख्या–2136/15–11–2013 दिनांक 22.07.2013 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार मेरिट का आगणन किया जायेगा।

(3) अल्पसंख्यक संस्थानों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश/चयन एन0सी0टी0ई0 द्वारा सम्बन्धित संस्था को आवंटित सीटों के सापेक्ष ही मेरिट के अनुसार किया जायेगा। प्रवेश मे मेरिट को इग्नोर नहीं किया जायेगा।

(4) चयन में किसी प्रकार की अनियमितता न हो इस हेतु पारदर्शी प्रकिया तथा प्रचलित नियमों का पालन किया जायेगा। इस हेतु अल्पसंख्यक संस्था द्वारा एक प्रवेश समिति बनायी जायेगी, जिसमें प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सम्बन्धित जनपद द्वारा नाम निर्दिष्ट एक

–2/

प्रतिनिधि भी सम्मिलित किया जायेगा।

(5) विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन पत्र आन लाइन प्राप्त करके आवेदन पत्र में दी गई सूचना के अनुसार तत्समय प्रचलित शासनादेशों के अनुसार मेरिट का आगणन करके मेरिट के अवरोही कम में सूची का प्रकाशन अल्पसंख्यक संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर किया जायेगा।

(6) परीक्षण हेतु मेरिट के आधार पर एन0सी0टी0ई0 द्वारा आवंटित सीटों के सापेक्ष प्रवेश की सूची प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद को सम्बन्धित अल्पसंख्यक संस्था द्वारा प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम, अवधि, परीक्षा पद्धति को स्वीकार करते हुए तद्नुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित अल्पसंख्यक संस्था द्वारा की जायेगी।

(8) सम्बन्धित अल्पसंख्यक संस्था द्वारा चयन की प्रकिया में प्रचलित शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों से इतर व नियम विरूद्ध कार्यवाही किया जाना निषिद्ध होगा।

(9) सम्बन्धित अल्पसंख्यक संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं की परीक्षा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर होगी। अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश तथा परीक्षा की शुचितापूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0, इलाहाबाद तथा सम्बन्धित जनपद के प्राचार्य, डायट की होगी, जिसके उल्लंधन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर शासन द्वारा संस्थान की सम्बद्धता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

3– शासनादेश संख्या–2136/15–11–2013 दिनांक 22.07.2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 22.07.2013 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे। यह शासनादेश तत्काल प्रभाव से प्रदेश में संचालित समस्त अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लाग

<u>संख्या एंव दिनांक तदैव–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2– राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3– शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0, इलाहाबाद।
6– समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
10.6.15
(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।